Instruction for internship Letter

- Download the above form and print it on A-4 size page back to back.
- Fill the form properly and get signatures on it from the competent authority of the School of Education by personally attending the department.
- One copy (School copy) will be submitted in the training institute for their record.
- Get the permission for internship from the training institution head in writing with his/her signature, name, designation, mobile no. and seal of the institute.
- One copy (Departmental copy) submit by personally attending in the department.
- Your internship will be counted from the day when you submit a departmental copy by personally attending the department with written permission from training institute.
- For more query or suggestion, discuss with your teachers time to time.

MONAD UNIVERSITY

Established by UP State Govt. Act No. 23 of 2010 & U/S 2(f) of U.G.C. Act. 1956.
NH-24, Delhi Hapur Road, P.O. Pilkhuwa, Distt. Hapur – 245304 (U.P.)

(विभागीय प्रतिलिपि)

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य/प्रबन्धक महोदय

.....

.....

विषय – बी0एड0 द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को प्रशिक्षण (Internship) कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

निवेदन है कि ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... बी0एड0 सत्र 2020–2022 द्वितीय वर्ष का छात्र अध्यापक/छात्र–अध्यापिका है। बी0एड0 कार्यक्रम में एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2014 के अनुसार द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों को 16 सप्ताह का शिक्षण प्रशिक्षण (Internship) बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित उसके समकक्ष किसी अन्य शिक्षा परिषद (Educational Board) से मान्यता प्राप्त (Recognized) विद्यालय में करना अनिवार्य है। इस क्रम में उक्त छात्र अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को आपके शैक्षणिक संस्थान में इस उद्देश्य के साथ प्रेषित किया जा रहा है, कि वह आपके अनुभवी कुशल निर्देशन में अपने भविष्य के लिये उपयोगी शैक्षणिक कौशल का विकास कर सके।

प्रशिक्षण से सम्बन्धित वांछित नियम पत्र के (पृष्ठ भाग) साथ संलग्न है।

सहयोग की अपेक्षा के साथ।

प्राचार्य

स्कूल ऑफ एजूकेशन
मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

प्रशिक्षण (Internship) सम्बन्धित नियम

- प्रशिक्षण (Internship) की कुल अवधि 16 सप्ताह होगी।
- प्रशिक्षण हेतु चयनित विद्यालय का बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित उसके समकक्ष किसी अन्य शिक्षा परिषद (Educational Board) से मान्यता प्राप्त (Recognized) होना अनिवार्य है।
- छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को अपने द्वारा चयनित शिक्षण विषय के वरिष्ठतम प्राध्यापक/कक्षा समन्यवक के निर्देशन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक विषय के न्यूनतम एक–एक प्रकरण का अध्यापन कार्य आई0सी0टी0 का प्रयोग करते हुए करना होगा। जिसका मूल्यांकन छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका के अनुभव परामर्शदाता (Mentor) द्वारा प्रत्येक दिन प्रत्येक कार्य दिवस में किये जाने के उपरान्त पाठ योजना पर हस्ताक्षर के रूप में अंकित होगा।
- अनुभव परामर्शदाता (Mentor) के लिये न्यूनतम अधिमानी शैक्षिक अर्हता एम0एड0 अथवा बी0एड0 के साथ न्यूनतम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा पाँच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना आवश्यक होगा।
- प्रत्येक छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को समय–समय पर विद्यालय में आयोजित होने वाले शिक्षण/शिक्षणेत्तर/पाठ्य सहयोगी क्रियाओं में विद्यालय के संस्था प्रमुख/प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।
- छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को शिक्षण एवं शिक्षण सहगामी क्रियाओं के अभिलेख के रूप में निम्नांकित अभिलेखों का संरक्षण कर अपने (Mentor) के हस्ताक्षर के साथ विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में 16 सप्ताह का प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रस्तुत करना होगा।

(1) पाठ योजना पुस्तिका शिक्षण सहायक सामग्री सहित प्रथम शिक्षण विषय (Lesson Plan Pedagogy Subject – I)

(2) पाठ योजना पुस्तिका शिक्षण सहायक सामग्री सहित द्वितीय शिक्षण विषय (Lesson Plan Pedagogy Subject – II)

(3) अध्यापक दैनंदिनी (Teacher Daily Dairy)

(4) परियोजना कार्य/व्यष्टि अध्ययन/क्रियात्मक अनुसंधान (Project/Case Study/Action Research) में से किसी एक का चयन कर पूर्ण करना।

(5) प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षरित 16 सप्ताह का उपस्थिति विवरण पत्र।
(Training Certificate issued by Head of the institution with signature and seal)

(6) सामुदायिक कार्य (Work with Community)

(7) सूचना एवं संचार तकनीकी की समझ। (Understanding of Information and Communication Technology)

(8) प्रशिक्षण केन्द्र पोर्ट्फोलियो। (Internship Centre Portfolio)

यदि किसी छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को प्रशिक्षण के दौरान विभाग के किसी भी रूप में सहायता की आवश्यकता होगी तब छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका विभाग में उपस्थित होकर अपने विषय अध्यापक से सम्बन्धित समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है।

घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री .....
....निवासी..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी नियम मेरे द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ लिये गये हैं। मैं प्रशिक्षण के दौरान विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग एवं बी0एड0 पाठ्यक्रम के सभी नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा/करूंगी । नियमों का पालन न करने पर विभाग द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही के लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक ..... छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका के हस्ताक्षर .....

स्थान ..... छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका का नाम .....

MONAD UNIVERSITY

Established by UP State Govt. Act No. 23 of 2010 & U/S 2(f) of U.G.C. Act. 1956.
NH-24, Delhi Hapur Road, P.O. Pilkhuwa, Distt. Hapur – 245304 (U.P.)

(विद्यालयी प्रतिलिपि)

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य/प्रबन्धक महोदय

.....

.....

विषय – बी0एड0 द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्र अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को प्रशिक्षण (Internship) कराने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

निवेदन है कि ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... बी0एड0 सत्र 2020–2022 द्वितीय वर्ष का छात्र अध्यापक/छात्र–अध्यापिका है। बी0एड0 कार्यक्रम में एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2014 के अनुसार द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों को 16 सप्ताह का शिक्षण प्रशिक्षण (Internship) बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित उसके समकक्ष किसी अन्य शिक्षा परिषद (Educational Board) से मान्यता प्राप्त (Recognized) विद्यालय में करना अनिवार्य है। इस क्रम में उक्त छात्र अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को आपके शैक्षणिक संस्थान में इस उद्देश्य के साथ प्रेषित किया जा रहा है, कि वह आपके अनुभवी कुशल निर्देशन में अपने भविष्य के लिये उपयोगी शैक्षणिक कौशल का विकास कर सके।

प्रशिक्षण से सम्बन्धित वांछित नियम पत्र के (पृष्ठ भाग) साथ संलग्न है।

सहयोग की अपेक्षा के साथ।

प्राचार्य

स्कूल ऑफ एजूकेशन
मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़

प्रशिक्षण (Internship) सम्बन्धित नियम

- प्रशिक्षण (Internship) की कुल अवधि 16 सप्ताह होगी।
- प्रशिक्षण हेतु चयनित विद्यालय का बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित उसके समकक्ष किसी अन्य शिक्षा परिषद (Educational Board) से मान्यता प्राप्त (Recognized) होना अनिवार्य है।
- छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को अपने द्वारा चयनित शिक्षण विषय के वरिष्ठतम प्राध्यापक/कक्षा समन्यवक के निर्देशन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक विषय के न्यूनतम एक–एक प्रकरण का अध्यापन कार्य आई0सी0टी0 का प्रयोग करते हुए करना होगा। जिसका मूल्यांकन छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका के अनुभव परामर्शदाता (Mentor) द्वारा प्रत्येक दिन प्रत्येक कार्य दिवस में किये जाने के उपरान्त पाठ योजना पर हस्ताक्षर के रूप में अंकित होगा।
- अनुभव परामर्शदाता (Mentor) के लिये न्यूनतम अधिमानी शैक्षिक अर्हता एम0एड0 अथवा बी0एड0 के साथ न्यूनतम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव अथवा पाँच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना आवश्यक होगा।
- प्रत्येक छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को समय–समय पर विद्यालय में आयोजित होने वाले शिक्षण/शिक्षणेत्तर/पाठ्य सहयोगी क्रियाओं में विद्यालय के संस्था प्रमुख/प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी।
- छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को शिक्षण एवं शिक्षण सहगामी क्रियाओं के अभिलेख के रूप में निम्नांकित अभिलेखों का संरक्षण कर अपने (Mentor) के हस्ताक्षर के साथ विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में 16 सप्ताह का प्रशिक्षण पूर्ण करने पर प्रस्तुत करना होगा।

(1) पाठ योजना पुस्तिका शिक्षण सहायक सामग्री सहित प्रथम शिक्षण विषय (Lesson Plan Pedagogy Subject – I)

(2) पाठ योजना पुस्तिका शिक्षण सहायक सामग्री सहित द्वितीय शिक्षण विषय (Lesson Plan Pedagogy Subject – II)

(3) अध्यापक दैनंदिनी (Teacher Daily Dairy)

(4) परियोजना कार्य/व्यष्टि अध्ययन/क्रियात्मक अनुसंधान (Project/Case Study/Action Research) में से किसी एक का चयन कर पूर्ण करना।

(5) प्रधानाचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षरित 16 सप्ताह का उपस्थिति विवरण पत्र।
(Training Certificate issued by Head of the institution with signature and seal)

(6) सामुदायिक कार्य (Work with Community)

(7) सूचना एवं संचार तकनीकी की समझ। (Understanding of Information and Communication Technology)

(8) प्रशिक्षण केन्द्र पोर्ट्फोलियो। (Internship Centre Portfolio)

यदि किसी छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका को प्रशिक्षण के दौरान विभाग के किसी भी रूप में सहायता की आवश्यकता होगी तब छात्र–अध्यापक/छात्र–अध्यापिका विभाग में उपस्थित होकर अपने विषय अध्यापक से सम्बन्धित समस्या का समाधान प्राप्त कर सकता है।